प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल
जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक 31.03.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 302 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम के 01 आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 30000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्य़वेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कटरा पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एडीजे-11 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कटरा में आरोपी मनीष पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लोहरगांव थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 04.05.2021 को रात्रि करीब 01 बजे वादी सुखवन्त के पिता को 315 बोर के तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 30000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

- मनीष पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लोहरगांव थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर।

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 216/2021 धारा 302 भादवि तथा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर में आरोपी मनीष पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लोहरगांव थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 04.05.2021 को रात्रि करीब 01 बजे वादी सुखवन्त के पिता को 315 बोर के तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 30000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।